

(स्वदेशी उपकरण/ मशीनरी) आपूर्ति की
मानक नियम एवं शर्तें

निर्देशिका

1. सामान्य
2. कोटेशन और आदेश स्वीकृति शर्तें
3. पैकिंग, शिपिंग, बीमा एवं भाड़ा विवरण तथा सुपुर्दगी
4. गारंटी / वारंटी
5. गुणवत्ता प्रमाणन
6. भुगतान की शर्तें
7. निरीक्षण, परीक्षण और कमीशनिंग असिसटेन्स
8. विविध

अनुलग्नक:

1. सुरक्षा का ज्ञापन
2. स्टैक्स स्वीकृत प्रारूप
3. बीड बांड / बयाना बैंक गारंटी फार्मेट
4. सुरक्षा जमा बैंक गारंटी फार्मेट शिपिंग निर्देश
5. परफ़ोर्मेस बैंक गारंटी प्रारूप

आईएन-1 सामान्य

आईएन-101

शब्द क्रेता का अर्थ माझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के सन्दर्भ में है यह भारतीय कम्पनीज अधिनियम 1913 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है और इसमें इसके उत्तराधिकारी अथवा अशाईन्स शामिल हैं।

आईएन-102

शब्द उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता / विक्रेता का अर्थ उन व्यक्तियों / फर्मो/कम्पनीयों से हैं जो केन्द्र द्वारा समय-समय पर उनका निर्माण करने और अथवा आपूर्ति करने अथवा किसी स्वरूप का कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है और इसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

आईएन-103

शब्द 'स्वामी/स्वामित्व' का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जिसे माझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (क्रेता) कोई कार्य पूरा करने के लिए किसी आदेश के संबंध में अनुबंध

निर्माता/ आपूर्तिकर्ता से इस अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति के लिए अथवा कुछ सामग्री/ मर्दों के निर्माण हेतु है जिसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग, भारतीय नौसेना, तटरक्षक और किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण का समावेश है।

आईएन-104

उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता का ध्यान सुरक्षा जापन के अनुपालन के लिए आकृष्ट किया जाता है (अनुलग्नक-1)

आईएन-105

उपकरण/ उत्पाद/मर्दों को आफूआरटीआई कठोरता से आरेखन/ विनिर्देशन/ मांग के अनुसार करना होगा जो निविदा/ जांच आदेश के साथ परिवर्तन सहित हो, यदि कोई हो जैसाकि परस्पर स्वीकृत हो।

आईएन-106

उपठेकेदार / आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अपने अधिकार की विक्री, हस्तांतरण, प्रतिनिधि अथवा अन्य रूप में अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का निस्तारण अनुबंध के अंतर्गत उसके तथा क्रेता के बीच हुए हैं का क्रेता से पूर्ण लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकता है।

आईएन-107

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को सभी दावों के समक्ष नुकसान से बचायेगें जो किसी पेटेन्ट / निर्माण के कारण कॉपीराइट विक्री अथवा सामग्री के उपयोग के कारण उत्पन्न हुआ हो जो आदेश में समाहित हो।

आईएन-108

अनुबंध उद्देश्य के लिए क्रेता द्वारा कोई पत्र, प्रतिकृति संदेश, ई-मेल सूचना अथवा अधिसूचना उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को अंतिम ज्ञात पते पर भेजने पर जो प्रस्ताव /आदेश में उल्लिखित हो, उसे वैध सन्देश माना जायेगा।

आईएन-109

सभी अनुबंधों को पूर्णरूप में मुंबई में किया हुआ माना जायेगा और उसवके अंतर्गत सभी वादों मुंबई शहर में देय माने जायेगें और यह आदेश में विशेष शर्त है कि कोई दावा अथवा कार्रवाई

आदेश के संबंध में किसी दसववे के उद्देश्य से लागू करने के लिए महाराष्ट्र भारत के मुंबई शहर में स्थित किसी न्यायालय के अलावा नहीं होगा।

आईएन-110

आपूर्ति किये गये उपकरण के सम्बंध में (03 वर्ष के भीतर) उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता बिना शर्त और मुफ्त में क्रेता को प्रौद्योगिकी विकास/नवोन्मेष/रूपांतरण पर सूचना जिसे वह भविष्य में विकसित करेगा, वह उपलब्ध करायेगा। इसकी सहायता के लिए क्रेता का पता उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के मेल सूची में अथवा डाटा बेस में अथवा किसी अन्य दस्तावेज में जो उत्पादन सूचना के डिससेमीनेशन के लिए कायम किया है और क्रेता को इस सम्बंध में की गई कार्रवाई की सूचना देनी होगी। यदि ऐसे सुधार/रूपांतरण उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा रूपांकन, विभाग में क्रेता द्वारा दिये गये उपकरण आदेश निर्माण अवधि में लाया जाता है तो उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता उपकरण में ऐसे सुधारित रूपों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के समाहित करेगा।

आईएन-111

यदि क्रेता चाहता है कि पहले से आपूर्ति की गई मर्दों में रूपांतरण / सुधार प्रौद्योगिकी विकास के कारण मूल उपकरणों में समाहित किया जाय जिसे उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता ने आपूर्ति किया है तो उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को उसके लिए कोट करना चाहिए और उपकरणों में ऐसे सभी रूपान्तरण पूरा करना होगा।

अ) जहां किसी उपकरण का पूर्ण अथवा आंशिक विकास विशेष रूप से उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा स्वामी के लिए किया हो और बाद में क्रेता के माध्यम से पूरे का खर्च वहन करता हो अथवा पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की लागत उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा उपगत की गई हो तो रूपांकन का पूर्ण अधिकार अथवा उपकरण अंश का जैसा कि उचित हो ओनर में निहित होगा।

ब) स्वामी के अनुमोदन से पूर्व यदि पहले से प्राप्त किया है समान सामग्री को स्वामी के अलावा किसी अन्य पक्ष को बेचा/ आपूर्ति किया जाता है। यदि ऐसा अनुमोदन दिया जाता है और बिक्री होती है तो उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा स्वामी को रायल्टी परस्पर रूप से सहमत दर पर भुगतान करना चाहिए।

आईएन-112

सभी सम्पत्ति (जैसे सामग्री, आरेखन, दस्तावेज इदत्यादि) जो क्रेता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा क्रेता की तरफ से किसी फर्म द्वारा अनुबंध के सम्बंध में जारी किया गया है वह गोपनीय रहेगा क्योंकि वह क्रेता की सम्पत्ति है और उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को

सभी ऐसी सम्पत्ति को वापस करने जिम्मेदारी हैं जो इस प्रकार जारी की गई है और वह किसी एक अथवा उसके सभी के नुकसान के लिए जिम्मेदार होना चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो और वह क्रेता को राशि और क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

आईएन-113

उपकरणों के दीर्घ एवं अल्प अवधि परीक्षण अवधि के लिए विस्तृत प्रक्रिया और परिरक्षण का अवर्तन विशेष परिरक्षण सहित यदि आवश्यक उपकरणों के प्रतिष्ठापन से पहले लिए उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा पूरा करना होगा कमीशनिंग से पहले डी-प्रीजरवेशन के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी पूरा करना होगा।

आईएन-114

क्रेता द्वारा मांग करने पर उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को मुफ्त में मार्ग दर्शन परीक्षण /मरम्मत/अनुरक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गये उपकरणों के ओवर हाल हेतु करना होगा।

आईएन-115

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता उपकरणों को निरंतर सहयोग कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए करेंगे आपूर्ति की तिथि से स्पेअर पार्ट उपलब्ध करायेगे और आपूर्ति किये उपकरण का ऐसे सभी करगे। यदि उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता किसी कारण से चाहे जो भी हो उत्पाद के बंद करने का निर्णय लेता है तो उसे क्रेता को पर्याप्त पहले सूचना देनी होगी जिससे कि क्रेतों को लाईफटाईम स्पेअर्स के आवश्यक प्रापण के लिए सहायता मिल सके।

आईएन-116

केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम की सेवाओं और अथवा उपकरण/उत्पाद के सम्बंध में क्रय वरीयता ऐसे/समान उपकरण/उत्पाद/सेवाओं के लिए निविदा पर भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा घोषित वर्तमान नीति के अनुसार लागू होगा।

आईएन117

क्रेता को किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार करने अथवा इन्कार करने का अधिकार है यदि निविदा को पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार बिना कोई कारण बताये है।

आईएन-2. कोटेशन और आदेश स्वीकृति शर्तें:

आईएन-201

निविदाकर्ता का निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इनके अनुपालन में असफल होने पर निविदाकर्ता अयोग्य हो सकता है।

- अ. सभी लिफाफों पर बड़े अक्षरों में निविदा संख्या और नियत तिथि लिखना आवश्यक है।
- ब. निविदा नियति तिथि और समय पर या पहले पेश होनी चाहिए।
- स. विनिर्देशन के अनुसार प्रस्तुत होना चाहिए और निविदा शर्तों का अनुपालन होना चाहिए।
- द. लिफाफा उचित ठंग से सील होना चाहिए।

आईएन-202

जब तक अन्य रूप में कहा न गया हो, प्रस्ताव केवल दो बोली प्रणाली में होगा और अलग-अलग दो सीलड लिफाफों में होगा।

अ. भाग-1- टैकनो कामर्शियल बीड का प्रकार चिन्हित हों/इसके अलावा भाग-11 में शामिल होंगे।

i) प्रोफार्मा प्राईस सीडूल बैंकिंग विथ प्राइसेज और निर्दिष्ट कोटेड/नान कोटेड (निविदा में प्रत्येक मद के समक्ष जैसा कि लागू हो)

ii) चुंगी/कर, आक्ट्राय, फ्रेट चार्ज, बीमा और कोई अन्य वैधानिक कर देय, घटनाओं का विशेष स्पष्ट ब्योरा देते हुए/अलग से प्रत्येक शीर्ष के समक्ष देना चाहिए।

iii) प्रत्येक शीर्ष के समक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए लागत प्रभाव कम्पनी में सुपुर्दगी, अथवा एफ और आर/एफओबी/सी एंड एफ अथवा अतिरिक्त कार्य प्रभार सहित पैकिंग एवं फारवर्डिंग के लिए देना होगा।

iv) कम्पलायंस स्टेटमेन्ट में स्पष्ट रूप में विचलन/अपवाद को हाईलाईट करना चाहिए, यदि कोई हो, जो आपूर्ति के तकनीकी विनिर्देशन/ मानक नियम और शर्तों, विशिष्ट निविदा शर्तों के अनुरूप हो। विचलन के अर्निदिष्ट के समय कोई अथवा सभी उपबंधों को अनुपालन के अर्थ में माना जायेगा जो किसी अथवा सभी निविदा शर्तों में हो। स्टैक्स में कोई विचलन जिसका वित्तीय उलझन हो, तो कोटेड प्राईस लोड करने के लिए उचित रूप से विचार करना होगा। (स्टैक्स स्वीकृति प्रारूप अनुलग्नक-2 में रखा गया है) ।

v) कुल बोली मूल्य का 2% बयाना राशि जमा माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होना चाहिए। अथवा निविदा में निर्धारित बीडबांड के मूल्य समान राशि देय होगी जो भी लागू हो। (अनुलग्नक-3 में प्रारूप दिया गया है)

vi) आई एस 9000: 2000 की प्रति अथवा समकक्ष गुणवत्ता प्रणाली मानक प्रमाण पत्र वैध तिथि के साथ।

vii) सुपुर्दगी तालिका

ब. भाग -II- 'प्राईस बीड' - अक्षरों तथा अंको में कोट लिखित होना चाहिए जो उचित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षरित और इस प्रकार चिन्हित हो।

आईएन-203

ये दोनो मुहर बंद लिफाफे - भाग-I- और भाग-II- तीसरे लिफाफे में उचित रूप से बड़े अक्षरों में लिखकर यथा निविदा संख्या एवं नियत तिथि सहित उचित रूप से मुहर बंदकर 14.00 बजे तक निम्नलिखित स्थानों के निविदा वाक्स में जैसा कि पूछताछ में निर्दिष्ट है में जमा करें:

वाणिज्य अनुभाग, 4था महला, सर्विस ब्लॉक, नॉर्थ यार्ड * अथवा पूर्व खंड वाणिज्य अनुभाग, VI मंजिल, 'ए' बिल्डिंग। *अथवा सामाग्री समूल, 2री मंजिल, मुगल हाउस। *अथवा ऑफ शोर वाणिज्य अनुभाग, माझडाँक हाउस।* (जो लागू न हो उसे काट दें)

ब. बाहरी स्टेशन/विदेशी बीडर/आपूर्तिकर्ता को अपना प्रस्ताव अपर महाप्रबंधक (सामग्री) को सम्बोधित करते हुए मुगल हाउस माझगांव डाँक शिपबिल्डर्स लिमिटेड डाकयार्ड रोड मुंबई 400010 के पते पर या तो कुरियर सेवा से अथवा स्पीड पोस्ट से निविदा बंद होने की तिथि से 48 घंटा पहले पहुंचना चाहिए अथवा हाथ से सुपुर्दगी निविदा बंद होने की तिथि तथा समय से पहले करनी होगी। क्रेता किसी पोस्टल/कुरियर विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और यह आरोप मुख्य रूप से निविदाकर्ता पर होगी।

स. दो बोली सिस्टम का प्रस्ताव फैक्स/ई-मेल से प्राप्त होने पर अथवा प्रस्ताव निर्धारित तिथि और निविदा समय के बाद प्राप्त होने पर निरस्त होने योग्य है।

आईएन-204

क. प्रत्येक 'शिपसेट' का मूल्य कोट किया होना चाहिए और उपकरण के प्रत्येक मदों का ब्रेकअप मूल्य और उसकी एक्सेसरिज भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

ख. डोर डेलीवरी- एफ ओ आर के लिए प्रत्येक शीर्ष के सामने व्यर-भार स्पष्ट रूप से सूचित हो।

ग. पकिंग और फोर्वडिंग के लिए एक्स-वर्क - चार्ज के साथ।

घ. प्रस्ताव में छूट मूल्य यदि एक शिपसेट से अधिक प्रस्ताव किया गया हो तो सूचित होना चाहिए।

ड. प्रस्ताव में विदेशी मुद्रा, यदि कोई और बेस मुद्रा दर सूचित होना चाहिए। यदि कोई सामग्री/ सामग्रियाँ उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा आखिरी उत्पाद के निर्माण के

उपयोग के लिए आयात करना आवश्यक है। है तो ऐसे उत्पाद/ उत्पादों के लिए आयात लाइसेन्स की व्यवस्था करना केवल उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा की जायेगी।
च. अनुमानित सीमा शुल्क प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्रा कनटेंट के लिए मूल्य तुलना के लिए विचार किया जायेगा जो कोटेड प्राईस पर विदेशी मुद्रा कनटेंट के उचित लोडिंग द्वारा होगा।

आईएन-205

- अ) प्रस्ताव 90 दिनों के लिए बैध तथा स्वीकार्य होगा और मूल्य निश्चित और स्थाई होंगे जब तक कि सामग्री की कुल मात्रा की सुपुर्दगी क्रेता के यार्ड में नहीं होती है। यदि नहीं होती है तो ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता को अवधि की सूचना देनी चाहिए जिसमें कोटेड प्राईस उपकरणों/सामग्रियों के आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया है वे बैध रहेगी।
i. यदि क्रेता उपकरण सामग्री की सुपुर्दगी करने को रोकने की इच्छा करता है जो प्रस्ताव के बैधता अवधि के भीतर या बाहर हो और ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को सूचित करना होगा।

और

- ii. सुपुर्दगी के स्थगन के लिए प्रभावी नियम एवं शर्तें मुख्य वैधता अवधि के बाहर हो।

ब) क्रेता अपने विवेक पर निविदित मात्रा के समक्ष क्रय आदेश के आंशिक अथवा पूर्ण प्लेसमेंट पर विचार करेगा।

आईएन-206

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को अग्रिम में सूचित करना होगा कि किसी भी कारण से निविदा में शामिल होने में असमर्थ है। इसके अनुपालन में असफल होने पर गंभीरता से विचार किया जायेगा और लगातार 03 बार असफल होने पर उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता आयोग्य होने के लिए जिम्मेदार होगा और उस उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को भविष्य में सभी निविदा जांच से अनुमोदित पंजीकृत विक्रेता और अथवा सूची से प्रतिबंधित किया जायेगा।

आईएन-207 स्पेयर्स

अ. स्पेयर की टेस्टिंग और टुनिंग/ कमीशनिंग मूल उपकरण के साथ शर्त में निर्दिष्ट हो की सुपुर्दगी होनी चाहिए।

आ. उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता की सूची में निर्माता की सिफारिश के स्पेयर्स के साथ मर्दों के मूल्य सूचीबद्ध के लिए

- एक वर्ष का बिना रुकावट ऑपरेशन - जिसमें न्यूनतम 90 दिनों की वैधता प्रस्ताव हो।
- पाँच वर्ष ऑपरेशन - जिसमें न्यूनतम 180 दिनों की वैधता प्रस्ताव हो। (प्रत्येक मर्दों के सामने न्यूनतम प्रस्ताव मात्रा, यदि लागू हो, उस भी बताएं।)

एक वर्ष के लिए क्रेटस द्वारा स्पेअर्स का आदेश करने समय, 5 वर्षों के परिचालन के लिए आदेश स्वामी अथवा क्रेता द्वारा किया जायेगा। 05 वर्षों के परिचालन स्पेअर्स के मामले में उप-ठेकेदार/ आपूर्ति/ विक्रेता एक बेस प्राईस वर्ष के कोटेशन के लिए लागू इंगित करेंगे और एक स्वीकार्य वार्षिक बढ़ोत्तरी सूत्र आधारित सूचित करेंगे। जिस पर भविष्य की मांगों के मूल्य हेतु निर्धारण किया जा सके जो सेवा को उपकरण के लाईफ सायकिल के दौरान हो।

मुख्य उपकरणों के लिए कोटिंग के समय इनस्पेअर्स के लिए एक प्रस्ताव बनाने में अयोग्यता के मामले में ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता एक दिनांक निश्चित करेंगे जब ऐसा एक प्रस्ताव बनाया जा सकता है और इसका पालन भी किया जा सकता है। कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने पर जैसा कि प्रतिज्ञा की गई थी, मुख्य उपकरण के लिए आदेश देना बिना कोई सूचना दिये निरस्त करने योग्य होगा जिससे क्रेता को कोई वित्तीय उलझन भी नहीं होगी।

आईएन-208

निविदायें निर्धारित तिथि पर 14.30 बजे क्रय विभाग दूसरा महला मुगल हाउस में खोले जायेंगे निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही केवल निविदा खुलने के समय भाग -I के प्रेस निविदा में उपस्थिति की अनुमति है निविदा खोलने में न तो विलम्ब होगा अथवा रोका जायेगा या स्थगित किया जायेगा चाहे किसी एक या अनेक निविदाकर्ता अनुपस्थित हो। सभी लिफाफे जिन पर प्राईस बीड चिन्हित किया गया है और निविदा खुलवाने की तिथि नोट की जायेगी और अलग से अनओपेन्ड रखा जायेगा।

आईएन-209

केवल प्रेस निविदा के मामले में अधिकृत तकनिकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधि जिन्होंने बयाना राशि/बीडबांड पेश किया है, जैसे कि लागू हो और निविदा शर्तों के अनुपालन सहित, केवल, ऐसे प्रतिनिधि को प्राईस बीड- भाग-II की प्रोसीडिंग नोट के समय उपस्थित होने की अनुमति होती है जब निविदा खोलने वाले अधिकारी के निर्देश प्रणाली से निविदा खोली जाती है। पात्र निविदाकर्ता जो प्राईस बीड खुलने के समय उपस्थित है उसे बाद की तिथि पर प्राईस की सूचना प्रदान नहीं की जायेगी। असफल निविदाकर्ताओं को बयाना राशि की वापसी मनी रसीद/बीडबांड की मूल प्रति जमा करने पर आदेश निर्धारण के 7 दिन के भीतर प्रदान किया जायेगा। बयाना राशि का दावा यदि निविदाकर्ता अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं करता है तो यह जब्तकर ली जायेगी।

आईएन-210

क्रेता द्वारा सफल बोलीकर्ता के प्रस्ताव स्वीकृति के साथ जो निविदा की शर्तों के अनुसार हो एलओआई/ क्रय आदेश के माध्यम से अनुबंध का निर्णय किया जाता है।

क्रय आदेश प्राप्त करने पर उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता अपनी बिना शर्त स्वीकृति इसके संबंध में मेल/ रसीद की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर सूचित करेंगे और क्रय आदेश की एक प्रति पर अधिरित व्यक्ति द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर कर संपूर्णता सहित बिना किसी योग्यता के साथ करेंगे। यह उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता जिम्मेदारी होगी कि विशेष रूप से किसी गलती अथवा विसंगति की गणना क्रय आदेश में स्वीकृति के समय करेंगे ऐसा करने में असफल होने पर क्रय आदेश पूर्ण रूप से उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता बंधनकारी होगा।

निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत क्रय आदेश प्राप्ति की पावती मिलने पर कोई विलम्ब होने पर अथवा क्रय आदेश रूपांतरण उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा क्रय आदेश पावती में करने पर यह अनुबंध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके कारण हानि होने पर क्रेता द्वारा ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई बयाना राशि, इन्वोकिंग बीड सिक्योरिटी / बीड बांड जब्त कर वसूली की जायेगी। यदि उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के बोली में कोई शर्त और पत्राचार निहित हो जो नोटिस इन्वारिंग टेंडर (एनआईटी) के प्रतिकूल हो तब उन्हें सुपरसीडेड माना जायेगा और क्रेता द्वारा बीड स्वीकार करने पर वायंड (शून्य) माना जायेगा।

क्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता की बयाना राशि / बीड सिक्योरिटी अथवा इन्वोकिंग बीड बांड से करने पर अनुबंध निरस्त माना जायेगा जो क्रेता द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर कायम किया गया था।

आईएन-211 सुरक्षा जमा

सफल निविदाकर्ता को सुरक्षा जमा के रूप में कुल आदेश मूल्य का 5% सुरक्षा जमा डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी (अनुलग्नक-4) के रूप में क्रेता के पक्ष में देना होता है। आदेश का सफल निष्पादन करने में असफल होने पर अथवा उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा गलती करने पर सुरक्षा जमा जफ्त कर ली जायेगी।

आईएन-212

जब तक अन्य रूप में मांग का ब्योरा/ प्रापण के लिए तकनीकी विनिर्देश निर्दिष्ट न हो तो आपूर्ति में एक सेट रीप्रोड्यूसिबल वे्लोग्राफ स्टैम्प शामिल होगा जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 'अनुमोदित', माइक्रो फिल्मस/ फ्लोपीस/ सीडीएस और पेपर प्रिंट के 06 सेट होंगे। इसमें परिचालन/ अनुरक्षण नियमावली/ पार्ट आईटी फिकेशन लिस्ट, कम्प्रीकेसीव पार्ट्स लिस्ट, परीक्षण प्रमाण पत्र/ शॉप ट्रायल रिपोर्ट्स इत्यादि आटीक्लास आपूर्ति की 15 सेट भी शामिल होगा।

आईएन-3.0 पैकिंग, शिपिंग बीमा एंड भाड़ा विवरण और सुपर्दगी:

आईएन-301 पैकिंग

अ) सभी सामग्रियों का मजबूत और सुरक्षित रूप से पैककर शिपमेंट / परिवहन जो लागू हो उसे न्यूनतम क्यूबिक स्पेस में इस तरह से रखें जिससे कि क्षति और चोरी से रोका जा

सके जो पारगमन के लिए शिपमेंट के बिन्दु से गंतव्य स्थान पर पहुँच जायेगा। मेटल पार्ट्स जहाँ कहीं आवश्यक हो अच्छी तरह से स्लाश परिरक्षित हो जिससे पारगमन में जंग से रोका जा सके। यदि यह प्रमाणित होता है कि हानि और क्षति अपर्याप्त पैकिंग के कारण हुई हो तो क्षति उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक पैकिंग स्पष्ट रूप से चिन्हित और नम्बर, चारों तरफ लिखा जायेगा और उसके शीर्ष पर लिखित होगा जैसा कि क्रय आदेश की भूमिका में निर्देशित है। शब्द और अंक कम से कम 30 मिली मीटर चौड़ाई में होंगे। जहाँ कहीं संभव हो पैकिंग में केस नम्बर आदेश संख्या सकल वजन किलो ग्राम में, शुद्ध वहन किलोग्राम में, और बाहरी परिधि लम्बाई X चौड़ाई X ऊँचाई हो (बाहरी परिधि और वजन पर सूचना क्रेता को क्रम से कम एक माह शिपमेंट / प्रेषण से पहले प्रस्तुत करना होगा। निर्देशित मार्किंग के अलावा किसी प्रकार का मार्किंग कथित पैकिंग पर नहीं करना होगा।

ब) मुख्य उपकरण, सहायक सामग्री और स्पेअर की पैकिंग अलग से और केसेस पर स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए।

स) प्रत्येक पैकेज में वैक पैकिंग सूची तीन प्रतियों में रहना चाहिए और आदेश संख्या पैकेज नम्बर कन्साइन्मेंट में केसों की संख्या विवरण, प्रत्येक मद की मात्रा, पैक सहित स्पष्ट रूप से पैकिंग सूची में दर्शाया होगा। विवरण और प्रत्येक मद की मात्रा मिलान आदेश में उल्लिखित से करना होगा, जहाँ कहीं लागू हो।

आईएन-302 बीमा:

आईएन-302.1

ऐसे मामलों में जहाँ उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के प्रस्ताव में 'क्रेता के यार्ड में मुफ्त सुपुर्दगी' परिवहन बीमा शुल्क की व्यवस्था हो। वह उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

आईएन-302.2

अतिरिक्त कार्य / अतिरिक्त परिवहनकर्ता के गोदाम के मामले में अथवा रेलवे गोडाउन प्रस्तावों में उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता सामग्री का विवरण प्रशन ब्योरा सहित और उनका मूल्य क्रेता के बीमा कम्पनी को यानि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जनरल बीमा विभाग, वाणिज्य केंद्र पहला महला ताड़देव मुंबई 400034, फैंक्स नम्बर 91-022-4948559 को क्रेता की सलाह के अंतर्गत तत्काल प्रेषण के बाद भेजना होगा। बीमा शुल्क क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

आईएन-303

स्टोरेज और डीमरेज का दावा उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता सभी शिपमेंट के लिए करेगा जो हम तक बिना उचित प्रेषण दस्तावेजों, लॉरी रसीदों के पैकिंग सूचि, इन्वायस इत्यादि भेजे जायेगे। उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा विवरण में गलती अथवा चूक, वजन अथवा मापन और बढ़े हुए हैडलिंग चार्ज अनुचित पैकिंग के कारण, जुर्माना के लिए जिम्मेदार होंगे।

आईएन-304

जहाँ आदेश में इस प्रकार निर्धारित हो, उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता ऐसी रिपोर्ट समय समय पर अनुबंध की प्रगति के सम्बन्ध में और ऐसे प्रपत्र में जैसा कि क्रेता द्वारा माँगा जायेगा, प्रदान करेगे। क्रेता के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी आदेश को तत्काल बिना किसी वित्तीय उलझनों के दोनों तरफ से निरस्त कर सकता है। यदि निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में निर्माण की प्रगति 50% तक पूर्ण हो गई है तो वह क्रेता के संतुष्ट के अनुरूप नहीं है और उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता की और से असफल होने पर सुपुर्दगी कार्यक्रम का अनुपालन अपरिहार्य है। ऐसे घटना होने पर उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को सभी अग्रिम का पुर्न भुगतान प्रचलित बैंक दर के साथ (वर्तमान 14.5% प्रति वर्ष) ऐसे अग्रिम प्राप्ति की तिथि से पुर्न भुगतान तिथि तक करना होगा। किसी सम्पत्ति का मालिकाना हक (शीर्षक) जो क्रेता को सुपुर्द की गई हो वह उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को उनकी लागत पर वापस दी जायेगी।

आईएन-305

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता सामग्री प्रेषण की व्यवस्था रेल/ सड़क परिवहन द्वारा मुंबई भेजने की व्यवस्था करेगे जैसाकि उचित हो और मुख्य प्रबंधक(भंडार), माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई- 400010 को सौपेंगे। बीजक की अग्रिम प्रति अन्य संबद्ध दस्तावेजों के साथ क्रेता को पर्याप्त अग्रिम रूप से भेजनी होगी। जिससे विलंब शुल्क को टाला जा सके। डोर डेलीवरी अनुबंधों के मामलें में ट्रासपोर्ट को निर्देश दिया जाएगा कि वह आदेशित उपकरण कि सुपुर्दगी लॉरी प्राप्ति के कन्साईनी प्रति बिना आग्रह के साथ भेजे।

आईएन-306

अ) एसओआर/ टीएसपी के अनुसार माँगी गई वौडिंग डाईग्स अथवा क्रय आदेश की तिथि से 04 सप्ताह के भीतर आपूर्ति की जायेगी। अथवा निर्धारित समय सीमा के भीतर जैसा कि क्रय आदेश की भूमिका में मुफ्त में निर्दिष्ट होगा। इसका अनुपालन करने में असफल होने पर क्रय आदेश क्रेता को बिना किसी वित्तीय उलझन के निरस्त किया जा सकता है।

ब) ड्राईगत निरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी और डीजीक्यूए/ एनएसएम/ एमडीएल/ क्लासी फिकेश सोसायटी जैसा उचित हो, वह क्रय आदेश की तिथि से 04 सप्ताह के भीतर हो।

स) जहां कहीं लागू हो पाईलट सैम्पल, प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जायेंगे जो क्रय आदेश की तिथि से 04 सप्ताह के भीतर क्रय आदेश में निर्दिष्ट हो।

आईएन-4.0 - गारंटी/वारंटी

आईएन-401

उपकरण /सामग्री की गारंटी संतोषप्रद कार्य निष्पादन के लिए **48** माह की अवधि के लिए संतोषजनक कमीशनिंग की तिथि से अथवा प्राप्ति की तिथि से **24** माह के भीतर जो भी पहले समाप्त हो किसी भी अनुचित रूपांकन, दोषपूर्ण सामग्री और दोषपूर्ण कार्य कुशलता के साथ हो उस अवधि के दौरान सभी दोष जो अनुचित रूपांकन, दोषपूर्ण सामग्री, दोषपूर्ण कार्य कुशलता के सामने आये हैं उनका शुद्धिकरण मरम्मत द्वारा अथवा बदल कर आंशिक अथवा पूर्ण उपकरण का करना आवश्यक होगा जो बिना शुल्क डोर डिलीवरी / सीआईएफ के आधार पर उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा किया जायेगा। वारंटी के मामले में यह आनसाईट पर व्यापक रूप से 12/36 माह के लिए होगी।

आईएन-402

यदि दोष की सूचना गारंटी अवधि के दौरान नियमित / निर्धारित समय के अन्दर सुधार नहीं किया जाता है तो क्रेता दोष का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के जोखिम और लागत पर कर सकता है लेकिन बिना पूर्वानुमान के किसी अन्य अधिकार को जो क्रेता के पास उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के विरुद्ध असफलता के सम्बन्ध में अनुबंधकर्ता / आपूर्तिकर्ता को ऐसे दोष के लिए कर सकता है।

आईएन-403

उपकरण और सामग्री का निरीक्षण और अनुमोदन निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा करने उर उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को उपकरण / सामग्री गारंटी की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाता है। यह उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता की प्रमुख जिम्मेदारी है आपूर्ति किये गये उपकरण/सामग्री सभी तरह से पूर्ण हो और अपना कार्य निष्पादन अपने रूपांकित पैरामीटर से करना सुनिश्चित करें।

आईएन-404

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता की जिम्मेदारी गारंटी दोष को उचित समय सीमा के भीतर ठीक करने में असफल होने पर बैंक कार्य निष्पादन गारंटी को क्रेता द्वारा नकदीकरण कर लिया जायेगा क्रेता का निर्णय इस सम्बन्ध में आखिरी और उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता पर बंधनकारी होगा।

आईएन-5.0 गुणवत्ता प्रमाणन:

आईएन-501

क्रय वरीयता का विचार उन उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता के मामले में किया जायेगा जिन्हें आईएसओ 9000:2000 का प्रमाण पत्र प्राप्त हो अथवा इसके समकक्ष अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मानक उपकरण / उत्पाद के सम्बन्ध में और मर्दाँ पर निविदा में दिया हो।

आईएन-502

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता प्रमाण के रूप में, बीड दस्तावेज के भाग-1 में आईएसओ 9000:2000 की एक प्रति अथवा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मानकों के समकक्ष प्रमाण पत्र उक्त तिथि तक वैध प्रस्तुत करेंगे।

आईएन-503

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता उपठेकेदारों को नियुक्त करेंगे और आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति उपलब्ध करायेगे जिसके लिए पूर्व अनुमोदन क्रेता से लेंगे और ऐसे उप ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता भी आईएसओ 9000:2000 अथवा किसी समकक्ष अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मानक से प्रमाणित होंगे।

आईएन-504

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता के पास आईएसओ 9000:2000 प्रमाणित फार्म नहीं है तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए और गुणवत्ता एसुरेंस / कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान का विस्तृत ब्योरा लिखित होना चाहिए। ऐसे विवरणों /दस्तावेजों की गहन जाँच के बाद क्रेता प्रस्ताव पूर्व शर्त के साथ निर्दिष्ट स्वीकार कर सकता है अथवा प्रस्तुत की गई बोली को निरस्त कर सकता है।

आईएन-6.0 भुगतान की शर्तें:

आईएन-601

अ) जब तक अथवा अन्य रूप में पारस्परिक सहमति हो और आदेश में निर्धारित हो, भुगतान की शर्तें आदेश मूल्य 90% सामग्री प्राप्त स्वीकार्य गुणवत्ता / मात्रा के साथ पूर्ण दस्तावेज सेट सहित, निरीक्षण रिपोर्ट आदि जो लागू हो, की तिथि से 45 दिन के भीतर भुगतान किया जायेगा।

i) हस्ताक्षरित बीजक की तीन प्रतियाँ मद सूची दर्शाते हुए पैकिंग सूची के साथ।

ii) वारंटी प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में

iii) निर्माता का कार्य परिक्षण प्रमाण की तीन प्रतियाँ

iv) एसबीएस एलआरएस/ आईआरएस/ एबीएस डीक्यूए(डबल्यूपी)/डीक्यूएएन/सीक्यूई/डबल्यूओटी/एमडीएल से अनुमोदित और निरीक्षित प्रमाण पत्र की 3 प्रतियाँ अथवा कोई अन्य नामित निरीक्षण प्राधिकारी (जो भी लागू हो)।

v) आदेश के साथ छह सामान प्राप्त नोट (जीआरएन) का सेट क्रं सं 1 से 10 तक के साथ संलग्न पूर्ण रूप से भरा हुआ।

सभी दस्तावेजों स्पष्ट रूप से एमडीएल आदेश संख्या और तिथि निर्दिष्ट होना चाहिए।

ब) आदेश मूल्य का शेष 10% उपकरणों के प्रतिष्ठापन, कमीशनिंग पर दस्तावेजों के पूर्ण सेट, कमीशनिंग कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के समक्ष समान राशि के लिए निर्धारित निर्धारित प्रारूप में जारी आदेश के साथ (अनुलग्नक 5 + मूल के साथ दो जिरॉक्स प्रति) राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से केवल रुपये 100 के स्टैम्प पेपर पर 12 माह के लिए कमीशनिंग की तिथि के साथ एक माह इन्वोकेशन अवधि के साथ निम्न दस्तावेजों के प्रस्तुत पर किया जायेगा।

i) एमडीएल की अनक्वालिफाइंग निरीक्षण/ प्रतिष्ठापन पर कमीशनिंग रिपोर्ट्स और आदेश पर कमीशनिंग आफ उपकरण / मर्दे।

ii) आदेश के अनुसार स्पेअर्स का पूर्णसेट।

iii) क्रय आदेश के अनुसार परिचालन/ अनुरक्षण / निर्देश नियमावली और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में।

iv) क्रय आदेश के अनुसार पार्ट्स आइडेंटी फिकेशन सूची / कोम्प्रिहेंसिव पार्ट्स लिस्ट का पूर्णसेट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी।

v) ड्राविंग और रीप्रोड्यूसिबल ड्राविंग "एज़ फिटेड" का पूर्ण सेट।

vi) अ) 2 वर्ष ऑपरेशन और आ) 5 वर्ष ऑपरेशन के लिए बी एंड डी स्पेयर्स के लिए कोटेशन।

आईएन-602

चुंगी कर का पुर्न भुगतान क्रेता द्वारा वास्तविक के समक्ष मूल चुंगी भुगतान राशि रसीद और फार्म बी की प्रति प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। चुंगी रसीदें माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के नाम से जारी होनी चाहिए।

नेवल वेजेल में आपूर्ति के लिए आदेश के संबंध में वारशिप प्रोडकशन सुपरिटेण्डेंट (मुंबई)/ डीजीक्यूए के प्रतिनिधि द्वारा चुंगी शुल्क मुक्त प्रमाणपत्र लागू किया जाएगा बशर्त कि प्रेषण के लियते मर्दे तैयार हों।

आईएन-603

बिक्रीकर पंजीकरण संख्या और केंद्रीय/राज्य बिक्रीकर नम्बर सभी बीजकों पर उद्धत करना होगा। बीजकों के साथ एक प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए कि उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का पंजीकरण प्रमाणपत्र बिक्री के दिन प्रभाव में था।

आईएन-604

जब तक अन्य रूप में नहीं कहा गया हो, उत्पादकर, बिक्रीकर और कोई अन्य वैधानिक करों का भुगतान वास्तविक पर अतिरिक्त देय होगा। फिर भी उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को भुगतान किये गये करों/चुंगियों का प्रमाण पत्र बीजकों/बिलों के साथ पेश करना होगा।

नेवल वेजेल में आपूर्ति के लिए आदेश के संबंध में वारशिप प्रोडकशन सुपरिटेण्डेंट (मुंबई)/ डीजीक्यूए के प्रतिनिधि द्वारा चुंगी शुल्क छूट प्रमाणपत्र लागू किया जाएगा बशर्त कि प्रेषण के लिए मर्दे तैयार हों। ऐसे छूट प्रमाणपत्र उप ठेकेदारों/ उप ठेकेदारों के उप-विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को जारी नहीं कयी अजाएगा जिसे क्रेता ने क्रय आदेश दिया हो।

आईएन-604.1

महाराष्ट्र के बाहर राज्यों में फार्म “डी” और महाराष्ट्र राज्य के भीतर फार्म “एच” विक्री कर में नेवल वेजेल के लिए छूट डबल्यूपीएस (एमबी) द्वारा जारी किया जायेगा।

आईएन-604.2

महाराष्ट्र राज्य के भीतर महाराष्ट्र राज्य के बाहर निर्मित मर्दों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को फार्म “डी” भी जारी किया जा सकता है जो बिक्री को समाहित हेतु जारी रशीद/रेलवे रशीद (एल आर/आर आर) के हस्थानांतरण पर है। ऐसे मामलों में उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को एल आर/आर आर का पृष्ठांकन क्रेता के पक्ष में करना आवश्यक हैं।

बीजक में स्पष्ट रूप से व्यय-भार शीर्षक के सामने जैसे लागू हो - मूल दर, उत्पाद शुल्क, पैकिंग और फोर्वर्डिंग शुल्क, केंद्र/राज्य विक्री कर, सेवा कर, भाड़ा, चुंगी, बीमा इत्यादि में सूचित हो।

आईएन-605

एक क्रय आदेश के अंतर्गत किया गया भुगतान किसी अन्य क्रय आदेश में एसाइंड या समायोजित नहीं किया जायेगा बशर्ते कि क्रेता द्वारा लिखित रूप में सहमति हो। अनुबंध की अवधि के दौरान यदि कोई राशि उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा देय होगी तो वह राशि किसी राशि से कटौती कर ली जायेगी जो देय होगी अथवा इसके बाद अनुबंध के अंतर्गत अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता को देय हो सकती है या कोई अन्य अनुबंध क्रेता के साथ हो सकता है।

आईएन-606

कार्य अनुबंधकर, जहां कहीं लागू हो, वह उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा किश्त, भविष्य निधि सेवाकर, सेवा कर और अन्य वैधानिक कर जो क्रेता के परिसर में नियुक्त कामगार उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।

आईएन-607 परिसमापन क्षति/जोखिम क्रय:

आईएन-607.1

ऐसे मामले में-

अ) उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता (विक्रेता) उपकरण/उत्पाद अथवा क्रय आदेश की शर्त पर दस्तावेज मीटिंग निर्धारित तिथि से पहले या तक सुपुर्दगी करने में असफल होता है अथवा

ब) उपकरण/उत्पाद का परीक्षण जब क्रय आदेश के कार्य निष्पादन शर्त के अनुसार किया गया और वह क्रेता के कार्य निष्पादन मानक को पूरा करने में असफल हुआ। इससे क्रेता को एक बड़ी राशि की हानि उठानी होगी जिसकी निश्चित तथ्यता के साथ गणना करना सुप्रभाव्य नहीं होगा। इसलिए कोई परिसमापन क्षति तत्काल क्रय आदेश में एक तर्क पूर्ण क्षति राशि का निर्धारण प्रस्तुत करता है जिसे क्रेताओं को सहन करना होगा और यह जुर्माना नहीं है। विक्रेता एतदद्वारा ऐसा कोई बचाव क्रेताओं को परिसमापन क्षति की वसूली को छोड़ देता है इस निवेदन पर कि वास्तविक क्षति का पता लगाया जा सकता है अथवा ऐसे परिसमापन क्षतियाँ एक तर्क पूर्ण निर्धारण क्षतियों का प्रस्तुत नहीं करती है। जो क्रेता वहन किया गया अथवा जुर्माना है।

आईएन-607.2

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता (विक्रेता) क्रय आदेश में लिखित उत्पाद के विलम्ब से सुपुर्दगी के लिए परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। जब तक कि अन्य रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो। उत्पाद के विलम्ब से सुपुर्दगी के परिसमापन क्षति पर प्रति सप्ताह अवितरित उत्पाद के लिए कुल मूल्य का 0.5% और अधिकतम 5% तक होगा। ऐसी परिसमापन क्षति क्रेता द्वारा उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता (विक्रेता) द्वारा परिसमापन क्षति के लिए किया गया भुगतान किसी अन्य उपाय के अलावा होगा (क्षति की वसूली के लिए कोई अन्य उपाय) जो क्रेता को उपलब्ध हो, इसमें डिफाल्ट के लिए आदेश का निरस्तीकरण बिना किसी परिसीमा के सहित कर सकता है।

आईएन-607.3

विलम्ब से नियमावली, आरेखन और दस्तावेजों की सुपुर्दगी के लिए परिसमापन क्षति के लिए उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता (विक्रेता) जिम्मेदार होगा जैसा कि क्रेता और उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा क्रय आदेश में कहा गया हो और सहमति हो। ऐसे क्षति की राशि स्पष्ट रूप से क्रय आदेश में परिभाषित है और यह अधिकतम आदेश मूल्य का 5% तक बढ़ाया जा सकता है।

आईएन-607.3

यदि उपकरण/सामग्री अथवा उसका कोई भाग निर्धारित तिथि पर सुपुर्दगी नहीं किया गया है तो क्रेताओं को छूट होगी कि वह बिना पूर्वाग्रह के क्रेता परिसमापन क्षति/जुर्माना जो इन शर्तों में प्रदान किया गया हो अथवा अन्य कोई उपाय अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए कर सकता है। वह अनुबंध को पूर्ण रूप से अथवा गलती की सीमा तक निरस्त कर सकता है। अग्रिम राशि अथवा उसका अंश आपूर्ति के सम्बंध में उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता से वसूल किया जायेगा जो वर्तमान बैंक ब्याज दर 14.5% प्रति वर्ष होगा।

आईएन-607.5

क्रेता को अधिकार होगा कि वह क्रय, निर्माण अथवा आपूर्ति स्टाक से करेगा जैसा वह उचित समझे, उसी प्रकार की अन्य सामग्री अथवा समान विवरण की सामग्री बनाना जिसमें गलती हुई है अथवा अनुबंध निरस्त होने के मामले में इसके अंतर्गत अनडीलीवर्ड शेष सामग्री हो। क्रय आदेश का अतिरिक्त मूल्य, निर्माण लागत अथवा स्टाक से आपूर्ति की गई किसी सामग्री का मूल्य, जैसा मामला हो अनुबंध मूल्य से अधिक उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता से वसूल किया जायेगा।

आईएन-7.0 निरीक्षण और परीक्षण और कमीशनिंग सहयोगः

आईएन-701

आदेश पर स्टील सामग्री का निरीक्षण एक या एक से अधिक निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता और मात्रा के लिए किया जाएगा और निरीक्षण प्रमाणपत्र इन उपकरणों से संलग्न होगा।

वैधानिक : डी ओ टी अथवा एन एम डी अथवा सरकारी एजेंसी।

नियंत्रक : क्लासिफिकेशन सोसाइटी - एल आर एस; ए बी एस; डी एन वी बी वी इत्यादि।

अन्य: स्वामित्व, डबल्यू पी एस (एमबी), एमडीएल।

आईएन-702

निरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय अथवा उसके एजेंट जैसा मामला हो, उद्देश्य के प्रश्न पर अर्थ और विनिर्देशक क्षेत्र/मानक आखिरी होंगे और उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता पर बंधनकारी और निर्णायक होगा

आईएन-703

यदि कोई सामग्री अथवा उपकरण का कोई भाग दोषपूर्ण/अस्वीकृत पाया जाता है तो अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता क्रेता के भंडार से उसे वापस लेगा, उसके द्वारा वहन किये गये सभी आकस्मिक शुल्क (सीमा शुल्क यदि देय हो) उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को अस्वीकृति की सूचना देने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वापस लेंगे। क्रेता को सुरक्षित अधिकार है कि वह अस्वीकृत मर्दों को कुल 90 दिनों की समाप्ति पर किसी भी ढंग से जिससे क्रेता को अधिकतम लाभ हो, निपटान कर सकता है और भंडारण शुल्क तथा कोई अनुवर्ती क्षति ऐसे निस्तारण कार्रवाई की बिक्री से होने पर वसूल कर सकता है।

आईएन-704

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता के अभियंता की सेवायें गारंटी अवधि तक / विस्तारित गारंटी अवधि मुक्त में जैसे क्रेता को आवश्यक हो उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों के प्रतिष्ठापन/निरीक्षण में सहायता करने, कार्य के लिए सेट करने, उपकरण की कमीशनिंग करेंगे।

आईएन-705

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा प्राप्त उपकरणों के सम्बंध में, उपकरणों का प्रतिष्ठान, क्रेता/ स्वामी के कार्मिकों को उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ एमडीएल परिसर में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यात्रा, लाजिंग, बोर्डिंग इत्यादि की लागत को आपसी सहमति से आदेश के विवरण में वहन करना होगा।

आईएन-706

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता के अभियंता की मुफ्त सेवार्यें जैसे क्रेता को आपूर्ति किये गये उपकरणों के प्रतिष्ठापन/निरीक्षण में सहायता करने, कार्य के लिए सेट करने, में उपकरण की कमीशनिंग, हार्बर और सी ट्राएल में वहीं उपकरण जो उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा आपसी सहमति से आदेश के विवरण में वहन करना होगा।

यदि क्रेता/ स्वामी मुफ्त सेवा अवधि के आगे भी सेवाएँ उपलब्ध करना चाहते हैं तो अनुबंध/ उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता इसके लिए घंटों/ प्रतिदिन दर के आधार के साथ यदि कोई अन्य शर्तें हों तो उसे भी कोट करें।

आईएन-707

परीक्षण एवं निरीक्षण की शर्तें आवश्यक होने पर यदि उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता द्वारा नहीं की जाती हैं तो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

आईएन708

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता, क्रेता के निरीक्षकों/नामित एजेंसी को सभी सुविधायें निरीक्षण/परीक्षण के लिए निर्माण के दौरान/आखिरी परीक्षण के दौरान पूरा करने के लिए प्रदान करेगा।

आईएन 8.0 विविध:

आईएन-801 अप्रत्याशित घटना

यदि किसी समय आपूर्ति आदेश के दौरान कार्य निष्पादन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से या तो क्रेता अथवा अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण कार्य निष्पादन रुक जाता है या विलम्बित होता है जैसे जन आंदोलन, नागरिक विद्रोह, तोड़फोड़, दुश्मनी, युद्ध, आग लगाना विस्फोट होना, महामारी संगरोधन प्रतिबंध, हड़ताल, लाकआऊट, प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ़ आना, भूकम्प आना, ज्वालामुखी, तूफान अथवा अन्य कोई कारण जो दोनों पक्षों के नियंत्रण से बाहर हो, इसके बाड़ इसे घटना के रूप में उल्लेख किया जायेगा।

ऐसी घटना के घटित होने की सूचना दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष को 21 दिनों के भीतर घटना की तिथि से देंगे इसलिए न तो कोई पक्ष ऐसी घटना होने के कारण अनुबंध को निरस्त करने का अधिकारी नहीं होगा और न तो किसी पक्ष को किसी क्षतिपूर्ति के लिए दावा दूसरे के समक्ष कार्य निष्पादन न होने के लिए अथवा अनुबंध/आदेश के निष्पादन में विलम्ब के सम्बंध में नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की ओर से कार्य निष्पादन ऐसी घटनाओं के बाद जितना जल्दी व्यावहारिक हो शुरू किया जायेगा। जब ऐसी घटना का अंत हो जायेगा या समाप्त हो जायेगी तो क्रेता का निर्णय कि कार्य को पुनः आरम्भ किया जाय अथवा न किया जाय, वह निर्णयक और आखिरी होगा। कार्य निष्पादन पूर्णरूप से या कैंपशन निविदा/अनुबंध के अंतर्गत आंशिक रूप से रोका जाता है या ऐसी किसी घटना के कारण 60 दिनों से अधिक अवधि के दौरान विलम्बित होता है तो दोनों पक्ष अपने विकल्प के अनुसार अनुबंध को निरस्त कर सकते हैं। आगे निविदा की कार्रवाई कर सकते हैं। क्रेता अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता से आकस्मिक घटनाओं के घटने के सम्बंध में लिखित सूचना प्राप्त करने पर जैसाकि पारस्परिक सहमति है। सुपर्दगी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है लेकिन वह निर्धारित सुपर्दगी तिथि से 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आकस्मिक स्थिति की घटनायें इस अवधि से आगे बढ़ जाती हैं तो क्रेता को अधिकार है कि वह बिना किसी वित्तीय उलझन के अथवा आपसी सहमति की शर्तों पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है।

आईएन-802 विवाचन

यदि कोई विवाद/विभेद अनुबंध के सम्बंध में दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण पारस्परिक रूप से समझौता द्वारा बातचीत के माध्यम से किया जायेगा। बिना दल वाले विवाद/विभेद यदि कोई हो तो विवाचन द्वारा निपटाया जायेगा और विवाचन की कार्रवाई मुम्बई- भारतीय विवाचन और कंसिलीएशन अधिनियम-1996 के अंतर्गत अँग्रेजी में की जायेगी। बिना दल विभेद/विवाद के मामले में क्रेता और उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने पर दोनों पक्षों द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग, वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार भेजा जा सकता है।

आईएन-803 क्षतिपूर्तिकरण

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता उसके कर्मचारी लाइसेंसीज, एजेंट अथवा उप विक्रेता/उपठेकेदार, जब क्रेता के कार्य स्थान पर इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए हो तो वे क्रेता का किसी प्रत्यक्ष क्षति और अथवा संपत्ति को नुकसान के विरुद्ध, क्रेता के व्यक्ति को अथवा क्रेता के कर्मचारियों, एजेंट, उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता के कारण और लापरवाही के कारण व्यक्तिगत चोट के कारण उसके कर्मचारी लाइसेंसीज, एजेंस, उपठेकेदार द्वारा संपत्ति को ऐसी क्षति अथवा मुआवजा और ऐसी क्षति के लिए कुल जिम्मेदारी ऐसे क्षति अथवा चोट को पारस्परिक रूप से चर्चा कर और सहमति से हल करेंगे।

आईएन 804- अनुचित प्रभाव/भ्रष्टाचार का प्रयोग:

- (अ) उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता को एक प्रतिज्ञा देनी होगी कि उसने कोई प्रस्ताव या वादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार इनाम पुरस्कार, उपहार, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या क्रेता की सेवा में किसी व्यक्ति को लालच देना अथवा अन्य रूप में अनुबंध प्राप्त करना अथवा ऐसा करने से बाज आना अथवा कार्य किया हो अथवा प्राप्त करने के सम्बंध में कोई कार्य करने के लिए फोरबोर्न करना अथवा क्रेता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के लिए प्रदर्शन करना अथवा पक्ष दर्शाने के लिए फोरबियरींग करना, अथवा अनुबंध के सम्बंध में किसी व्यक्ति का डिसफेवर करना अथवा क्रेता के साथ किसी अन्य अनुबंध में पक्षपात करना शामिल नहीं होगा।

उपरोक्त कथित प्रतिज्ञा में से किसी का भी उल्लंघन उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अथवा उनकी ओर से कार्य करने वालों कर्मचारी (चाहे वह अनुबंधकर्ता/ आपूर्तिकर्ता की जानकारी में हो या न हो) अथवा उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता द्वारा किये गये किसी अपराध अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा अथवा उनकी तरफ से कार्यरत कोई कर्मचारी जैसा कि भारतीय दंड विधान 1980 के चैप्टर में ix में परिभाषित है अथवा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 अथवा अन्य कोई अधिनियम में संशोधन भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्रेता को अधिकार प्रदान करता है कि वह अनुबंध को निरस्त कर सकता है चाहे वह पूर्ण रूप से हो अथवा उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता से कर सकता है और ऐसे निरस्तीकरण से उत्पन्न किसी हानि राशि की वसूली अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता से कर सकता है। क्रेता का निर्णय अथवा उसके नामिती का निर्णय उस बादा खिलाफी के होने पर आखिरी तथा अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता पर बंधनकारी होंगे।

- (ब) उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता, प्रस्ताव नहीं करेगा अथवा क्रेता के किसी व्यक्ति को कोई उपहार या किसी प्रकार का इनाम प्रलोभन देने का विचार करने अथवा कुछ करने के लिए पुरस्कार देना अथवा कार्य करने के लिए फोरबियरींग करना अथवा कार्य किया है या अनुबंध के निष्पादन के लिए किया है। ऐसा करने की सहमति नहीं देगा।

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता या उनके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा या उनकी ओर कार्य करने वाले कर्मचारी (चाहे उनकी जानकारी में हो या न हो) उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं करेगा।

कोई अपराध उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता अथवा उनके द्वारा नियुक्त किये कर्मचारी द्वारा अथवा उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा करने पर भारतीय दंड विधान 1980 के अंतर्गत अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार का विरोध नियम के अधीन, क्रेता को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर सकता है चाहे पूर्ण रूप से अनुबंध निरस्तीकरण के कारण होने वाली क्षति की राशि को वसूल कर सकता है इसके साथ ही केवल दंडात्मक क्षति के अलावा उनकी सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है, उनके बैंक गारंटी को नकदीकरण कर सकता है और (क्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस ले सकता है।

(स) ऐसे मामले में जमा क्रेता को यह पता चलता है कि अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई एजेंट नियुक्त किया है अथवा कमीशन दिया है अथवा किसी व्यक्ति को प्रभावित किया है जैसाकि एजेंट/एजेंसी कमीशन उपबंध और अनुचित प्रभाव का उपयोग करना में वर्जित है। उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता, क्रेता के विशेष निवेदन पर आवश्यक सूचना/सम्बंध वित्तीय दस्तावेज/सूचना का निरीक्षण करने के लिए अधिकार प्रदान करेगा।

सीपी-805- भारत सरकार से छूट उपबंध

यह स्पष्ट रूप से माना जाता है और सहमति मेसर्स उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता और माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स डॉकियाड रोड मुंबई 400010 (भारतीय पीएसयू) के बीच है कि वे इस अनुबंध के लिए मुख्य रूप से अपनी तरफ से शामिल हो रहे न कि किसी व्यक्ति अथवा हस्ती के रूप में है। विशेष रूप से यह स्पष्ट माना गया और सहमति है कि भारत सरकार इस अनुबंध में पक्षकार नहीं है और उसे इसके अंतर्गत कोई देयता/जिम्मेदारी/अधिकार नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त माना गया है और सहमति है कि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, डॉकियाड रोड मुंबई 400010 (भारतीय पीएसयू) एक स्वतंत्र विधिक हस्ती है जिसके पास अनुबंध में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से शक्ति और अधिकार है कि अपनी ओर से भारत के लागू कानून के अंतर्गत और अनुबंध कानून सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप अनुबंध करने के लिए समर्थ है।

उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता स्पष्ट रूप से सहमत, अभिमत और समझते हैं कि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, डॉकियाड रोड मुंबई 400010 (भारतीय पीएसयू) एक एजेंट, प्रतिनिधि अथवा भारत सरकार डेलीगेट नहीं है। यह आगे माना गया तथा सहमति है कि भारत सरकार इसमें शामिल नहीं है और किसी कार्रवाई, गलती और चूक, उल्लंघन और अन्य कोई गलती इस अनुबंध में उत्पन्न होने पर जिम्मेदार नहीं होगी।

तदनुसार, (उपठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता एतदद्वारा स्पष्ट रूप से छूट देंगे। और फोरगोस कोई और सभी कार्रवाई अथवा दावे नहीं करेंगे, जिसमें क्रॉस क्लेम्स, इम्पलीडर क्लेम्स अथवा काउंटर क्लेम्स भारत सरकार के विरुद्ध इस अनुबंध से उत्पन्न होने पर और प्रतिज्ञा पत्र भी देंगे कि वह भारत सरकार को किसी तरह के दावा कार्रवाई का कारण या कोई भी कार्रवाई इस अनुबंध में उत्पन्न होने पर अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत वाद कायम नहीं करेंगे।

सीपी-806 प्रतिबंधित अथवा गैर-सूचीबद्ध ठेकेदार:

बोलीकर्ता एक घोषणा देंगे कि वे किसी सरकार अथवा अर्ध सरकारी एजेंसी अथवा पीएसयू द्वारा प्रतिबंधित या डी-लिस्टेड नहीं है। यदि कोई बोलीकर्ता किसी सहमति/अर्ध सरकारी पीएसयू द्वारा प्रतिबंधित/ डीस्टेड हुआ हो तो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताए और यह आवश्यक रूप से एक कारण उनके डिसक्वालीफाई के लिए नहीं हो सकता है।

आईएन-807

महाप्रबंधक (रूपांकन) की अध्यक्षता में एक जनशिकायत एकक के स्थापना कंपनी में की गई है। सभी सामान्य लोग अपनी शिकायत अथवा ग्रीवांसेस के निवारण के लिए अध्यक्ष महोदय से बुधवार को सवेरे 10.00 बजे से 12.30 बजे के बीच उनके कार्यालय तीसरा महला रूपांकन कम्पलेक्स भवन में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपनी शिकायत अथवा ग्रीवांसेस उनको लिखित रूप में निवारण के लिए भेज सकते हैं। उनका टेलीफोन न. 022-2373 8152 है।

**STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY
(INDIGENOUS EQUIPMENT / MACHINERY)**

INDEX

1. GENERAL
2. QUOTATIONS AND ORDER ACCEPTANCE TERMS
3. PACKING, SHIPPING, INSURANCE & FREIGHT DETAILS, AND DELIVERY
4. GUARANTEE / WARRANTY
5. QUALITY CERTIFICATION
6. TERMS OF PAYMENT
7. INSPECTION, TESTING AND COMMISSIONING ASSISTANCE
8. MISCELLANEOUS

ANNEXURE:

1. MEMORANDUM OF SECURITY
2. STACS ACCEPTANCE FORMAT
3. BID BOND / EMD BANK GUARANTEE FORMAT
4. SECURITY DEPOSIT BANK GUARANTEE FORMAT
5. PERFORMANCE BANK GUARANTEE FORMAT

IN-1 GENERAL

IN-101

The word 'Purchaser' refers to MAZAGON DOCK LIMITED, (MDL), a Company registered under the Indian Companies Act 1913 and it includes its successors or assigns.

IN-102

The word 'Sub-contractor / Supplier / Vendor ' means the person / firm / Company who undertakes to manufacture and or supply and or undertake work of any nature assigned by the Purchaser from time to time and includes its successors or assigns.

IN-103

The word 'Owner' means the person or authority with whom Mazagon Dock Limited (Purchaser) has contracted to carry out work in relation to which orders are placed by the Purchaser on the Sub-contractor / Supplier / Vendor under this contract for supply or manufacture of certain items and would include Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence, Government of India, the Indian Navy, the Coast Guard and any other specified authority.

IN-104

The attention of the Sub-contractor / Supplier / Vendor is drawn for compliance with the 'Memorandum of Security' annexed. (Annexure 1)

IN-105

The equipment / products / items to be supplied shall be strictly in accordance with the Drawings / Specifications / Requirements indicated in the Tender / Inquiry / Order with deviations, if any, as mutually accepted.

IN-106

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall not either wholly or partly sell, transfer,

assign or otherwise dispose of the rights, liabilities and obligations under the contract between him and the Purchaser without prior consent of the Purchaser in writing.

IN-107

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall hold harmless and keep the Purchaser indemnified against all claims arising as a result of infringement of any patent / copy rights on account of manufacture, sale or use of articles covered by the order.

IN-108

Any letter, facsimile message, e-mail intimation or notice sent to the Sub-contractor / Supplier / Vendor at the last known address mentioned in the offer / order shall be deemed to be valid communication for the purpose of the contract.

IN-109

All contracts shall be deemed to have been wholly made in Mumbai and all claims thereunder are payable in Mumbai City and it is the distinct condition of the order that no suit or action for the purpose of enforcing any claim in respect of the order shall be instituted in any Court other than that situated in Mumbai City, Maharashtra State.

IN-110

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall unconditionally and free of cost to the Purchaser transfer information on technological developments / innovations / modifications which the Sub-contractor / Supplier / Vendor would evolve in future (within 3 years) in relation to the supplied equipment. To enable this, the Purchaser's address shall be added to the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's mailing list or database or any other document maintained for dissemination of product information and the Purchaser shall be informed of the action taken in this regard. If such improvements / modifications are brought in by the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's Design Department in course of manufacture of equipment ordered by the Purchaser, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall incorporate such improved versions in the equipment without any extra cost to the Purchaser.

IN-111

If the Purchaser be desirous of getting incorporated all post supply modifications / improvements arising out of technological developments to the original equipment supplied by the Sub-contractor / Supplier / Vendor, the Sub-contractor / Supplier / Vendor, shall quote for and carry out all such modifications to the equipment.

- a. Where the whole or a portion of the equipment has been specifically developed by the Sub-contractor / Supplier / Vendor for the Owner and the latter would through the Purchaser be bearing the entire or part of the development cost incurred by the Sub-contractor / Supplier / Vendor, the design rights for the whole or portion thereof, of the equipment as appropriate, shall vest in the Owners.
- b. Prior approval of the Owner should be obtained before similar articles are sold / supplied to any other party other than the Owner. If such approval is given and sale is effected, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall pay to the Owner royalty at the rate mutually agreed to.

IN-112

All property (such as materials, drawings, documents etc) issued by the Purchaser or any other individual or firm on behalf of the Purchaser in connection with the contract shall remain confidential, being the property of the Purchaser and the Sub-

contractor / Supplier / Vendor shall undertake to return all such property so issued and will be responsible for any or all loss thereof and damage thereto resulting from whatever causes and shall reimburse the Purchaser the full amount of loss and damage.

IN-113

A detailed procedure for long and short term preservation of the equipment and periodicity of preservation alongwith special preservatives, if required, prior to installation of the equipment shall be furnished by the Sub-contractor / Supplier / Vendor. The detailed procedure for de-preservation prior to commissioning shall also be furnished.

IN-114

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall render free of cost guidance in case the Purchaser intends to set-up testing, repair / maintenance facility to overhaul the equipment supplied by the Sub-contractor / Supplier / Vendor.

IN-115

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall continue to support the equipment for a minimum period of 20 years from the date of supply by making available spare parts and assemblies of the equipment supplied. Should the Sub-contractor / Supplier / Vendor decides to discontinue the product, for any reason whatsoever, adequate notice shall be given to the Purchaser / Owner to enable procurement of the requisite lifetime spares.

IN-116

Purchase preference in respect of equipment / product and or services of Central Public Enterprises will be applicable for such / similar equipment / product / services on tender as per extant policy promulgated by Department of Public Enterprises, Government of India.

IN-117

The Purchaser reserves the right to accept and or reject any or all tenders and or to withdraw the tender in toto without assigning any reason whatsoever.

IN-2. Quotations and Order Acceptance Terms:

IN-201

Tenderer shall pay special attention to the following points. Failure to comply with these may disqualify the tenderer.

- a. Tender number and due date to be superscribed on all the envelopes.
- b. Tender to be submitted on or before the due date and time.
- c. Offer to be as per specifications and complying with tender conditions.
- d. The envelopes to be sealed properly.

IN-202

Unless otherwise stated, the offers shall be in 'Two Bid System' only, in two separately sealed envelopes: -

- a. PART-I - 'Techno-Commercial Bid' and marked thus. In addition, Part-I shall include-

- i. Proforma Price Schedule blanking the prices and indicating 'Quoted / Not Quoted' (as applicable against each item on tender).
 - ii. Duties / Taxes, Octroi, freight charges, insurance and or any other Statutory levies payable, specifying incidence clearly / separately against each head.
 - iii. The cost incidence against each head clearly indicating for Door Delivery or F. O. R. or Ex-works alongwith charges for packing and forwarding.
 - iv. Compliance Statement clearly highlighting deviations / exceptions, if any, to Technical Specifications, Standard Terms and Conditions of Supply and Specific Tender Conditions. Non-specifying of deviations against any or all clauses would be construed as compliance to any / all conditions of tender. Any deviations to STACS, having financial implications, would be considered suitably for loading the quoted price. (STACS Acceptance Format is placed at Annexure 2).
 - v. Earnest Money Deposit @ 2% of the total bid value by way of Demand Draft drawn in favour of Mazagon Dock Limited or value of Bid Bond as stipulated in the tender, to be provided by the bidder / supplier as per format provided by the Purchaser. (Format placed at Annexure 3).
 - vi. Copy of IS 9000 or equivalent Quality System Standards certificate valid as of date.
 - vii. Delivery Schedule.
- b. PART-II - 'Price Bid' - Quotes to be written in figures and words duly authenticated / signed by the authorised person and marked thus.

IN-203

- a. Both these sealed envelopes-Part I and Part II, shall be put in a third envelope duly super scribing the Tender number and Due Date and sealed properly and deposited as specified in the enquiry by 14.00 hrs. in the Tender Box kept at the following place/s:

Commercial Section, 4th Floor, Service Block, North Yard * OR East Yard Commercial Section, VI floor, 'A' Building. * OR Materials Group, 2nd Floor, Mogul House. * OR Offshore Commercial Section, Mazdock House. * (*strike out whichever is not applicable)

- b. Outstation Bidder / Tenderer shall forward their offers addressed to Deputy General Manager (Commercial - Shipbuilding) OR Deputy General Manager (Commercial - East Yard) OR Additional General Manager (Materials), Mazagon Dock Limited, Dockyard Road, Mumbai 400 010, either by courier service or by speed post so as to reach 48 hours in advance of the due date of tender or by hand delivery before due date and time of tender closing. Purchaser shall not be responsible for any postal / courier delay and it is attributable solely to the tenderer.
- c. Offer in "Two Bid System" received by fax / e-mail and or offers received beyond due date and time of tender is liable to be rejected.

IN-204

- a. The price per 'Ship set' shall be quoted and breakup price of individual items of equipment and its accessories must be clearly stated.
- b. The cost incidence against each head shall be clearly indicated for -
- Door delivery - F. O. R.

- c. - Ex-Works - with charges for packing and forwarding
- d. The offer shall indicate the discounted price, if more than one shipset is ordered.
- e. The offer shall clearly indicate the Foreign Exchange content, if any, and base Exchange Rate. If any item/s is / are required to be imported by the Sub-contractor / Supplier / Vendor for use in the manufacture of final product, Import License for such product/s is to be arranged by him only.
- f. Deemed Customs Duty at prevailing rates would be considered on the Foreign Exchange content for price comparison by suitably loading the Foreign Exchange content on the quoted price.

IN-205

- a. The offer shall be valid for 90 days for acceptance and the prices shall remain firm and fixed until delivery of the full quantity of the goods in the Purchaser's Yard. If not, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall indicate the period during which the quoted price shall remain valid for supply of the equipment / article/s contracted for.

Should the Purchaser desire postponement of delivery of the equipment / article within or beyond validity date of the offer, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall indicate -

- i. the date by which such communication must be received by him for deferring delivery without any financial implication to the Purchaser,

and

- ii. terms and conditions for effecting postponement of delivery beyond the price validity period.
- b. Purchaser reserves the right to consider placement of Purchase Order in part or in full against the tendered quantity.

IN-206

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall inform the Purchaser in advance in case he is unable to participate in the tender for whatsoever reason. Failure to comply with this will be viewed seriously and consecutive three failure on the part of Sub-contractor / Supplier / Vendor to do so is liable for disqualification / debarring of the Sub-contractor / Supplier / Vendor from all future tender enquiries and or delisting from the list of 'Approved Registered Vendors.'

IN-207 Spares:

- a. Testing and tuning / commissioning spares shall be supplied along with the main equipment, as specified in the requisition.
- b. The Sub-contractor / Supplier / Vendors offer shall include a list of manufacturer's recommended spares together with itemised prices for
 - One year uninterrupted operation - validity of offer shall be a minimum for 90 days.

- Five year operation - validity of offer shall be a minimum for 180 days. (Minimum order quantity against each item, if applicable, may also be stated.)
- c. While the spares for one year are ordered by the Purchaser, the spares for 5 years Operation will be ordered by the Owners or Purchaser. In case of 5 years operation spares, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall indicate a base price applicable to the year of quotation and indicate an acceptable annual escalation formula based on which prices for future requirements could be established during the life cycle of the equipment in service.

In the event of inability to make an offer for these spares at the time of quoting for main equipment, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall commit a date by which such an offer can be made and adhere to it. Non-receipt of offer as committed will render the order for main equipment liable for cancellation without notice from and financial implication to the Purchaser.

IN-208

Tenders will be opened on the tender due date after 15.00 Hours in the Project-Commercial Section, Service Block OR in the Commercial Section, East Yard OR in the Purchase Section, II Floor, Mogul House OR in the Offshore Commercial Section, as the case may be. Tender opening shall neither be delayed nor withheld / postponed on account of absence of any one or more Tenderers. All the envelopes marked as 'PRICE BID' received at the time of Tender opening will be noted and held unopened separately.

IN-209

Authorised representatives of only technically qualified tenderers, in case of Press Tenders only, who have submitted EMD / Bid Bond, as applicable, and complied with tender terms, will only be permitted to be present and note the proceedings of the Price Bid - Part II opening in a manner as directed by the tender opening officers. Qualifying tenderers not present during price bid opening will not be parted with information on prices at a later date. EMD / Bid Bond of unsuccessful tenderers will be refunded / returned within seven days of finalisation of order on surrendering the Original copy of Money Receipt. EMD, if not claimed within one year from the date of notification to the tenderer for refund, will be forfeited.

IN-210

With the acceptance of the successful bidder's offer by the Purchaser, which is as per the Terms and Conditions of the tender, by means of LOI / Purchase Order, the Contract is concluded.

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall, on receipt of the order, communicate his unconditional acceptance within two weeks of from the date of mailing / receipt of the same in its entirety by returning a copy of the Purchase Order duly signed by the authorised person and without any qualification. Communicating acceptance of the order subject to any other terms and conditions of the contract on the part of the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall not bind the Purchaser in respect of these conditions which are less favourable to the Purchaser as compared with the conditions mutually agreed to and or stipulated in the order. It shall be the responsibility of the Sub-contractor / Supplier / Vendor to enumerate specifically any error or discrepancy in the order at the time of acceptance. Failure to do so shall make the order binding on the Sub-contractor / Supplier / Vendor in all respects.

Any delay in acknowledging the receipt of the Purchase Order within the specified time limit or any qualification or modification of the Purchase Order in the acknowledgement of the Purchase Order by the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall be a breach of the contract on the part of Sub-contractor / Supplier / Vendor. Compensation for the loss caused by the breach will be recovered by the Purchaser by forfeiting the Earnest Money, invoking Bid Security / Bid Bond given by the Sub-contractor / Supplier / Vendor. If the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's bid contains any condition and any correspondence which are contrary to the Notice Inviting Tender (NIT) then they shall be considered as superseded and void on the acceptance of the bid by the Purchaser.

Recovery of compensation by the Purchaser from the Sub-contractor / Supplier / Vendor by forfeiting the Earnest Money or by invoking the Bid Security / Bid Bond shall be regarded as cancellation of the contract which has come in to existence on the acceptance of the offer by the Purchaser.

IN-211 Security Deposit

The successful Tenderer shall submit a Security Deposit @ 5% of the value of the Order in the form of Demand Draft / Pay Order / Bank Guarantee (as per Annexure 4) in favour of Purchaser. The Security Deposit will be returned only after the successful execution of the order. In the event of failure to execute the order satisfactorily or default by the Sub-contractor / Supplier / Vendor, the Security Deposit will be forfeited.

IN-212

Unless otherwise specified in the 'Statement of Requirement' / 'Technical specifications for Procurement', the supply shall include one set of reproducible Velographs stamped 'Approved' by the Inspecting Authority, micro-films, floppies / CDs and six sets of paper prints. It shall also include 15 sets each of the Operation / Maintenance Manuals, Part Identification List, Comprehensive Part List, Test Certificates / Shop Trial reports etc. of the article/s supplied.

IN-3.0 Packing, Shipping, Insurance & Freight details and Delivery:

IN-301 Packing

- a. All material shall be strongly and securely packed for shipment / transportation as applicable in minimum cubic space in such a manner as to prevent damage and pilferage in transit from point of shipment to final destination. Metal parts wherever necessary shall be well slushed with preservatives to prevent rusting in transit. Should it be proved that loss and damage has arisen from inadequate packing, the losses shall be borne by Sub-contractor / Supplier / Vendor. Each packing shall be plainly marked and numbered upon four sides and the top thereof as directed in the Purchase Order. Letters and numbers shall be atleast 80 mms. high wherever possible. Packing should indicate Case No., Order No., Gross Weight in Kgs., Nett Weight in Kgs. and outside dimensions LxWxH (The information on outside dimensions and weight shall be furnished to Purchaser atleast one (1) month prior to shipment / despatch). No marking other than as directed shall be inscribed on the said packages.
- b. The main equipment, accessories and spares shall be separately packed and cases be clearly marked.

- c. Every package shall contain a packing list in triplicate and the order number, package number, number of cases in the consignment, description and quantity of each item packed shall be clearly shown in the packing list. The description and quantity of each item shall tally with that specified in the order wherever applicable.

IN-302 Insurance:

IN-302.1

In cases where the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's offers are for 'Free Delivery to Purchaser's Yard,' transit Insurance charges shall be borne by the Sub-contractor / Supplier / Vendor.

IN-302.2

In case of Ex-works / Ex-Transporter's warehouse or Railway godown offers, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall give details of materials with despatch particulars and their value to Purchaser's Insurance Company i.e. New India Assurance Company Limited, General Insurance Department, Commerce Centre, First Floor, Tardeo, Mumbai - 400 034, (Fax no.: 91-022-494 8559) under advice to Purchaser immediately after the despatch/es. The Insurance Charges will be borne by Purchaser.

IN-303

Storage and Demurrage will be claimed from the Sub-contractor / Supplier / Vendor for all shipments that reach us without proper despatch documentations, Lorry Receipts not accompanied by packing lists, invoices etc. The Sub-contractor/ Supplier/ Vendor shall be responsible for fines due to errors or omissions in description, weight or measurements and for increased handling charges due to improper packing.

IN-304

Where so stipulated in the order, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall render such reports from time to time as regards the progress of the contract and in such a form as may be called for by the Purchaser. The Purchaser reserves the right to cancel the order forthwith without any financial implications on either side, if on completion of 50% of the scheduled delivery period the progress of manufacture is not to the satisfaction of Purchaser / Owner and failure on the part of the Sub-contractor / Supplier / Vendor to comply with the delivery schedule is inevitable. In such an event the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall repay all the advances together with interest at prevailing bank rates (presently 14.5% p.a.) from the date of receipt of such advances till date of repayment. The title of any property delivered to Purchaser will be reverted to the Sub-contractor / Supplier / Vendor at his cost.

IN-305

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall arrange despatch of goods by Rail / Road transport to Mumbai as appropriate and consign to Chief Manager (Stores), Mazagon Dock Limited, Mumbai-400 010. An Advance Copy of the invoice along with copies of other relevant documents shall be forwarded to Purchaser sufficiently in advance to avoid demurrage. In case of door delivery contracts, the Transporter shall be directed to deliver the ordered equipment without insisting for consignee copy of Lorry Receipt.

IN-306

- a. The binding drawings called for as per the 'S. O. R.' / 'T. S. P.' or the Purchase Order shall be supplied within 4 weeks from the date of Purchase Order or within stipulated time frame as indicated on the face of Purchase Order, free of cost. Failure to comply may lead to cancellation of Purchase Order without any financial implications to the Purchaser.
- b. The drawings shall be submitted to Inspecting Authority and or DGQA / NSM / MDL / Classification Society, as appropriate, within 4 weeks from the date of Purchase Order.
- c. Wherever applicable, pilot sample shall be submitted to the authorities specified in the Purchase Order within 4 weeks from the date of Purchase Order.

IN-4.0 Guarantee / Warranty

IN-401

The equipment / material shall be Guaranteed / Warranted for satisfactory performance for the period of **48** months from the date of receipt OR **24** months from the date of satisfactory commissioning on board the vessel OR **12** months from the date of satisfactory commissioning of the vessel on which the equipment / material / items are installed, whichever expires earlier, against improper design, defective material and faulty workmanship. During the period all defects arising out of improper design, defective material, faulty workmanship shall be rectified by repairing or replacing part or whole of the equipment, as necessary, free of charge on door delivery basis by the Sub-contractor / Supplier / Vendor. In the event Purchaser / Owner desires to have extension of Guarantee beyond the stipulated period, as above, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall quote for the same on monthly basis and period of such extension for which the quote is valid.

IN-402

If the defects intimated during the Guarantee period are not remedied within a reasonable / stipulated time, the Purchaser may proceed to rectify the defects at the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's risk and cost, but without prejudice to any other rights which the Purchaser may have against the Sub-contractor / Supplier / Vendor in respect of the failure of the Sub-contractor / Supplier / Vendor to remedy such defects.

IN-403

Inspection and approval of the equipment or material by the Inspecting Authority/ies does not absolve the Sub-contractor / Supplier / Vendor of the responsibility of guarantee for the equipment / material. It will be the sole responsibility of the Sub-contractor / Supplier / Vendor to ensure that the equipment / material supplied is complete in all respects and performs to its / their designed parameters.

IN-404

In the event of Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's failure to attend the Guarantee defects within a reasonable period of time, the Performance Bank Guarantee will be encashed by the Purchaser. The Purchaser's decision shall be final and binding on Sub-contractor / Supplier / Vendor in this regard.

IN-5.0 Quality Certification:

IN-501

Purchase preference will be considered in case the Sub-contractor / Supplier /

Vendor is accredited with ISO 9000: 2000 or equivalent International Quality System Standards in respect of equipment / Products and or items on tender.

IN-502

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall submit as proof, in Part-I of the bid documents, a copy of ISO 9000: 2000 or equivalent International Quality System Standards certificate valid as of date.

IN-503

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall engage sub-contractors and avail supplies from suppliers with prior approval of Purchaser and such sub-contractors and suppliers shall also be accredited with ISO 9000: 2000 or equivalent International Quality System Standards.

IN-504

In the event the Sub-contractor / Supplier / Vendor is not being ISO 9000: 2000 accredited firm, the fact shall clearly be stated and the Quality Assurance / Quality Control organisation of the company be described in detail. Pursuant to scrutiny of such statement / documentation, the Purchaser may decide to accept the offer with pre-conditions specified for acceptance or reject the bid submitted.

IN-6.0 Terms of Payment:

IN-601

(a) Unless or otherwise mutually agreed upon and stipulated in the Purchase Order, the terms of payment shall be 90% of Order value within 45 days from the date of receipt of material in acceptable quality / quantity with complete set of documents as under: -

- i. Five copies of signed invoice showing item wise price along with item wise packing lists.
- ii. Warranty Certificate in triplicate.
- iii. 3 copies of Manufacturer's Works Test Certificate.
- iv. 3 copies of Certificate of Inspection and approval from LRS / IRS / ABS / DQA (WP) / DQAN / CQAE / WOT / MDL (whichever is applicable).
- v. A set/s of Goods Receiving Note (GRN) in sextuplicate enclosed with the Order duly filled in from Sr. 1 to 10.

All the documents shall clearly indicate the MDL's Purchase Order No. and date.

(b) Balance 10% of Order value shall be released upon Installation, Commissioning and against submission of Performance Bank Guarantee for equal amount in the prescribed format (Annexure 5 - original +2 Xerox copies) on a Rs. 100/- Stamp Paper from Nationalised / Scheduled Bank only, valid for 12 months from the date of commissioning with an invocation period of one month and on submission of the following documents-

- i. MDL's unqualifying Inspection reports on acceptance of the equipment / items on order.
- ii. Complete set of Classification / On board spares as per the Purchase Order.

- iii. Complete set of operation / Maintenance / Instruction Manuals as per the Purchase Order and also in Electronic Medium.
- iv. Complete set of Parts Identification List / Comprehensive Parts List as per the Purchase Order and also in Electronic Medium.
- v. Complete set of "As fitted" drawing and reproducible drawings.
- vi. Quotations for B & D spares for (a) 2 years operation and (b) 5 years operation.

IN-602

Octroi Duty will be re-imbursed by Purchaser at actuals against submission of 'Original Octroi paid money receipt' and copy of Form 'B'. Octroi receipts are to be issued in the name of 'Mazagon Dock Limited' only.

In case of Orders for supplies to Naval vessels, Octroi duty exemption certificate issued by Warship Production Superintendent (Mumbai) / DGQA representative will be provided on readiness of items for despatch.

IN-603

The Sales Tax Registration Number and Central Sales Tax Number, Service Tax Number, as applicable, are to be quoted on all invoices. Invoices shall be accompanied by a certificate to the effect that the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's registration certificate was in force on the day the sale was effected.

IN-604

Unless otherwise stated Excise Duty, Sales Tax and any other statutory levies will be payable extra at actuals. However, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall submit the proof of having paid the duties / levies along with the Invoices / Bills.

In case of orders for supplies to Naval vessels, Excise Duty exemption certificate issued by Warship Production Superintendent (Mumbai) / DGQA representative will be provided on readiness of items for despatch. Such exemption certificates shall not be issued to Sub-contractors / Sub-vendors of Sub-contractor / Supplier / Vendor on whom Purchaser had placed a Purchase Order.

IN-604.1

For supplies from States outside of Maharashtra, Form 'D' and for supplies from within Maharashtra State, Form 'H' for concessional Sales Tax as authorised by WPS (Mb) for naval vessels will be issued.

IN-604.2

Form 'D' can also be issued to suppliers within Maharashtra State for items manufactured outside Maharashtra State for covering the sales on transfer of Lorry Receipt / Railway Receipt (LR / RR). In such cases Sub-contractor / Supplier / Vendor is required to endorse LR / RR in favour of Purchaser

Invoice shall clearly indicate cost incidentals against each head, as applicable: Basic Cost, Excise Duty, Packing & forwarding charges, Central / State Sales Tax, Service Tax, Freight, Octroi, Insurance, etc.

IN-605

Payment made under one order shall not be assigned or adjusted to any other order except to the extent agreed upon in writing by the Purchaser. During the currency of the contract, if any sum of money is payable by the Sub-contractor / Supplier /

Vendor the same shall be deducted from any sum then due or thereafter may become due to the Sub-contractor / Supplier / Vendor under the contract or any other contract with the Purchaser.

IN-606

Works Contract Tax, wherever applicable, will have to be borne by Sub-contractor / Supplier / Vendor. In addition, Employees State Insurance premium, Provident Fund, Service Tax and other statutory dues of workers deployed at Purchaser's premises by Sub-contractor / Supplier / Vendor will have to be borne by him.

IN-607 Liquidated Damages / Risk Purchase:

IN-607.1

In the event that-

- a. Sub-contractor / Supplier / Vendor (SELLER) fails to deliver the equipment / product or documentation meeting the requirement of the Purchase Order on or before the dates specified, or
- b. the equipment / product when tested in accordance with the performance requirement of the Purchase Order, fails to meet those performance parameters, the buyer (Purchaser) will suffer damages in an amount that is not susceptible to calculation with reasonable certainty. Therefore, any Liquidated Damages set forth in the Purchase Order represent a reasonable determination of the amount of damages that the Purchaser will suffer, and are not in the way of penalties. Seller hereby waives any defence to Purchaser's recovery of such Liquidated Damages on the plea that actual damages are ascertainable or that such Liquidated Damages do not represent a reasonable determination of damages suffered by Purchaser or are penalties.

IN-607.2

Sub-contractor / Supplier / Vendor (Seller) will be liable to pay Liquidated Damages for late delivery of product / documentation as stated in the Purchase Order. Unless otherwise expressly specified, the rate of Liquidated Damages for late delivery of product shall be at the rate of 0.5% of the total price of undelivered product per week or part thereof of delay upto a maximum of 5% of the undelivered product. Such Liquidated Damages shall be deducted by the Purchaser from any monies due to Sub-contractor / Supplier / Vendor (Seller). Payments made by the Sub-contractor / Supplier / Vendor (Seller) of Liquidated Damages shall be in addition to any other remedies (other than any other remedy for the recovery of damages) available to the Purchaser, including without limitation the remedy of cancellation of Order for default.

IN-607.3

Sub-contractor / Supplier / Vendor (Seller) will be liable to pay Liquidated Damages for late delivery of Manuals, Drawings and Documentation as agreed to by Purchaser and Sub-contractor / Supplier / Vendor (Seller) and as stated in the Purchase Order. The amount of such damages will be clearly defined in the Purchase Order and may extend upto 5% of the Order value.

IN-607.4

If the equipment / article or any portion thereof be not delivered by the scheduled delivery date, the Purchaser shall be at liberty, without prejudice to the right of the

Purchaser to recover Liquidated Damages / penalty as provided for in these conditions or to any other remedy for breach of contract, to terminate the contract either wholly or to the extent of such default. Amounts advanced or part thereof corresponding to the undelivered supply shall be recoverable from the Sub-contractor / Supplier / Vendor at the prevailing bank rate of interest (currently @ 14.5% p.a.).

IN-607.5

The Purchaser shall be at liberty to purchase, manufacture or supply from stock as it deems fit, other articles of the same or similar description to make good such default and or in the event of the contract being terminated, the balance of the articles of the remaining to be delivered thereunder. Any excess over the purchase price, cost of manufacture or value of any articles supplied from the stock, as the case may be, over the contract price shall be recoverable from the Sub-contractor / Supplier / Vendor.

IN-7.0 Inspection, Testing and Commissioning Assistance:

IN-701

The equipment will be inspected by one or more agencies indicated below and an inspection certificate(s) shall accompany the equipment.

Statutory : M. M. D. or N. M. D.
Regulatory : Classification Society - L. R. S., A. B. S., D. N. V., B. V., I. R. S. etc.
Specification : Survey, DQA (WP) / DQAN / CQAE, Classification Society.
Others : Owners, W. P. S. (Mb), MDL

IN-702

The decision of the inspecting authority or his agent, as the case may be, on any question of the intent, meaning and the scope of specifications / standards shall be final, conclusive and binding on the Sub-contractor / Supplier / Vendor.

IN-703

Should the articles, or any portion thereof of the equipment be rejected, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall collect the same from the Purchaser's Stores within 30 days from the date of intimation to the Sub-contractor / Supplier / Vendor of such rejection. The Purchaser reserves the right to dispose of the rejected items at the end of a total period of 90 days in a manner to the best advantage to the Purchaser and recover storage charges and any consequential damages, from sale proceeds of such disposal.

IN-704

The services of the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's Engineers shall be provided free of cost till Guarantee period / extended Guarantee period as required by the Purchaser to assist / supervise the installation, setting to work, commissioning of the equipment supplied by the Sub-contractor / Supplier / Vendor.

IN-705

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall provide the requisite training for the Purchaser's / Owner's Personnel at Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's/ MDL's premises or on board the vessel where the equipment is installed, in respect of the equipment received from the Sub-contractor / Supplier / Vendor. The cost of

travelling, lodging, boarding etc. shall be borne as mutually agreed to and detailed in the order.

IN-706

The services of the Sub-contractor's / Supplier's / Vendor's Engineers shall be provided free of cost as required by the Purchaser to assist/supervise the installation, setting to work, commissioning, harbour and sea trials of the equipment supplied by the Sub-contractor / Supplier / Vendor for the periods as mutually agreed upon and as per the terms and conditions of the order.

Should the Purchaser / Owner desire to avail services beyond the free service periods available against the contract, the Sub-contractor / Supplier / Vendor shall quote for the same on hourly / daily rate basis along with other terms and conditions, if any.

IN-707

Conditions of tests and inspection requirements, if not held by the Sub-contractor / Supplier / Vendor are to be obtained from the Inspection Authority.

IN-708

The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall accord all facilities to Purchaser's Inspectors / Nominated Agency to carry out Inspection / Testing during course of manufacture / final testing.

IN-8.0 Miscellaneous:

IN-801

Force Majeure

If at any time during the execution of the supply order, the performance in whole or in part by either Purchaser or and by the Sub-contractors / Suppliers / Vendors is / are prevented or delayed by any reason of force majeure situations such as acts of public unrest, civil commotion, sabotage, hostilities, war, fires, explosions, epidemics, quarantine restrictions, strikes, lock outs, natural calamities like floods, earthquakes, volcanoes, storms or any other causes beyond the control of either parties, hereinafter referred to as "events", provided notice of the occurrence of such event/s is / are communicated by either party, to the other party within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reason such events be entitled to terminate the contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non performance and or delay in performance of the contract / order. Executions on either side shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist and the decision of Purchaser as to whether activities can resume or not, shall be conclusive and final.

The performance in whole or in part under the captioned tender / contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding sixty days either party may at its option terminate the contract / further processing of the tender.

The Purchaser may extend the delivery schedule as mutually agreed, on receipt of written communication from the Sub-contractor / Supplier / Vendor regarding occurrence of 'Force Majeure' conditions, but not exceeding six months from the scheduled delivery date. If the 'Force Majeure' conditions extend beyond this period,

the Purchaser shall have the right to cancel the order without any financial implication to the Purchaser or on terms mutually agreed to.

IN-802 Arbitration

Any dispute / differences between the parties arising out of and in connection with the contract shall be settled amicably by mutual negotiations. Unresolved disputes / differences, if any, shall be settled by Arbitration and the arbitration proceedings shall be conducted at Mumbai (India) in English language, under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

In case of unresolved difference / dispute between Purchaser and Sub-contractor / Supplier / Vendor, being a Public Sector Enterprise, shall be referred by either party to the Department of Public Enterprises, as per extant guidelines.

IN-803 Indemnification

The Sub-contractor / Supplier/ Vendor, his employees, licencees, agents or Sub-Vendor / Sub-contractor, while on site of the Purchaser for the purpose of this contract, shall indemnify the Purchaser against direct damage and or injury to the property and or the person of the Purchaser or that of Purchaser's employees, agents, Sub-Contractors / Suppliers occurring and to the extent caused by the negligence of the Sub-contractor / Supplier / Vendor, his employees, licencees, agents or Sub-contractor by making good such damages to the property, or compensating personal injury and the total liability for such damages or injury shall be as mutually discussed and agreed to.

IN-804 Use of Undue Influence / Corrupt Practices:

- a. The Sub-contractor / Supplier / Vendor should give an undertaking that he has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any gift, consideration, reward, commission, fees, brokerage or inducement to any person in service of the Purchaser or otherwise in procuring the contract or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the Contract with the Purchaser for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the Contract or any other Contract with the Purchaser. Any breach of the aforesaid undertaking by the Sub-contractor / Supplier / Vendor or any one employed by him or acting on his behalf (whether with or without the knowledge of the Sub-contractor / Supplier / Vendor) or the commission of any offence by the Sub-contractor / Supplier / Vendor or any one employed by him or acting on his behalf, as defined in Chapter IX of the Indian Penal Code, 1980 or the Prevention of Corruption Act, 1947 or any other Act enacted for the prevention of corruption shall entitle the Purchaser to cancel the contract and all or any other contracts with the Sub-contractor / Supplier / Vendor and recover from the Sub-contractor / Supplier / Vendor the amount of any loss arising from such cancellation. A decision of the Purchaser or his nominee to the effect that a breach of the undertaking has been committed shall be final and binding on the Sub-contractor / Supplier / Vendor.
- b. The Sub-contractor / Supplier / Vendor shall not offer or agree to give any person in the employment of Purchaser any gift or consideration of any kind as "Inducement" or "reward" for doing or forbearing to do or for having done or foreborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the

- contract/s. Any breach of the aforesaid condition by the Sub-contractor / Supplier / Vendor or any one employed by them or acting on their behalf (whether with or without the knowledge of the Sub-contractor / Supplier / Vendor) or the commission of any offence by the Sub-contractor / Supplier / Vendor or by any one employed by them or acting on their behalf which shall be punishable under the Indian Penal Code 1980 or the Prevention of Corruption by Public Servants, shall entitle Purchaser to cancel the contract/s and all or any other contracts and then to recover from the Sub-contractor / Supplier / Vendor the amounts of any loss arising from such contracts' cancellation, including but not limited to imposition of penal damages, forfeiture of Security Deposit, encashment of the Bank Guarantee and refund of the amounts paid by the Purchaser.
- c. In case, it is found to the satisfaction of the Purchaser that the Sub-contractor / Supplier / Vendor has engaged an Agent or paid commission or influenced any person to obtain the contract as described in clauses relating to Agents / Agency Commission and use of undue Influence, the Sub-contractor / Supplier / Vendor, on a specific request of the Purchaser shall provide necessary information / inspection of the relevant financial document / information.

IN-805 Banned or de-listed Contractors:

The bidders shall give a declaration that they have not been banned or de-listed by any Government or quasi Government agencies or PSUs. If a bidder has been banned or de-listed by any Government or quasi Government agencies or PSUs, this fact must be clearly stated and it may not necessarily be a cause for disqualifying him.

IN-806

A Public Grievance Cell headed by General Manager (Design) has been set up in the Company. Members of public having complaints or grievances are advised to contact him on Wednesday between 10.00 hours and 12.30 hours in his office on 3rd floor, Design Complex Building or send their complaints / grievances to him in writing for redressal. His Telephone No. is 373 8152.